



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 70/2014

वादी

रमेशचन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भावी
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किशनलाल पुत्र श्री मोहनलाल
2. सुरेश पुत्र श्री मोहनलाल
3. सायरी पत्नी श्री मोहनलाल
4. मृतक मांगीलाल पुत्र श्री भीकाराम के विधिक वारिसान
- 4/1 उगमादेवी पत्नी श्री मांगीलाल
- 4/2 सुनिल पुत्र श्री मांगीलाल
- 4/3 प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल
- 4/4 राकेश पुत्र श्री मांगीलाल
- 4/5 जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल
सभी जातियान ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम भावी (एस.बी.)
हालमुकाम ग्राम जैतीवास
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
5. गणपतराम पुत्र श्री भीकाराम
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भावी
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा
7. उप पंजीयक बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92 ए, राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 08.03.2017

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम भावी में प्रस्तुत हुई। वादी ने दावा दिनांक 01.12.2014 को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नोटिस पुनः भरकर पेश नहीं किये हैं। वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नोटिस पुनः भरकर पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये जबकि वादी अधिवक्ता को 7 दिन के भीतर नये नोटिस भरकर पेश करने चाहिए थे, जो वादी सम्मन पेश करने में असफल रहा है। इस कारण वादी का दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है पत्रावली फौशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

